Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

NAAC 'A+' Grade

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/2025/3914
दिनांक : 10.03.2025

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 25.02.2025 के क्रम में अवगत कराना है कि नये महाविद्यालयों तथा पूर्व से संचालित महाविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करते समय उल्लिखित शर्तों में स्पष्ट निर्देश होता है कि वे निर्धारित अवधि में प्राचार्य/प्रवक्ताओं का चयन कराकर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लें, ताकि अध्ययन–अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो किन्तु संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तथा प्राचार्य/प्रवक्ताओं का अनुमोदन नहीं कराया गया है, जिससे अध्ययन–अध्यापन का कार्य प्रभावित होता है तथा परीक्षा के समय भी परीक्षा संचालन में कठिनाई आती है।

अतः मा0 कुलपति जी द्वारा दिये गये उपर्युक्त आदेश के क्रम समस्त सम्बन्धित/सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि आगामी परीक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक दशा में प्राचार्य/प्रवक्ताओं का अनुमोदन करा लें अन्यथा की स्थिति में उन महाविद्यालय को परीक्षाकेन्द्र नहीं बनाया जायेगा तथा उनकी अस्थायी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

भवदीय

10/3/25
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सहायक कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी सूचनार्थ।
3. निजी सहायक परीक्षा नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रक को सूचनार्थ।
4. वेबमास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव